राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.4 (63)/मुसप्र/वि.स./सा.प्रयो.समिति/नवीन पंजी. योजना/2012/63 **दिनांकः–** 8-5-12

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार के पत्रांक प.15 (4) नविवि/2009 जयपुर दिनांक 19.04.12 के द्वारा 13वीं विधानसभा के मा. विधायको के लिए पूर्ण निर्मित आवासों हेतु **''नवीन पंजीकरण योजना''** खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है अतः राज्य सरकार के उक्त निर्देशो के अनुसार आवासन मण्डल की जयपुर शहर स्थित इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, में 13वीं विधानसभा के मा. विधायको को आवास हेतु **''नवीन पंजीकरण योजना''** प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति निम्नानुसार एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्रं. सं.	शहर	योजना	आय वर्ग	प्रस्तावित आवासो की संख्या	पंजीकरण योजना का नाम	अन्य विवरण
1.	जयपुर	इन्दिरा गांधी नगर, सैक्टर–8	उच्चआयवर्ग (12.00X18.00मी0)	126	इन्दिरा गांधी नगर (जयपुर) पंजीकरण योजना–2012	यह योजना केवल 13वीं विधानसभा के मा. विधायको (जिन्हे जयपुर शहर में कोई भी आवास आवंटित नही हैं।) आवास के पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।
				126		

उपरोक्त योजना दिनांक 16.05.2012 से 15.06.2012 तक खोली जानी सुनिश्चित करे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष,/ आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर को स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के क्रम में परिपत्र क्रमांक 20954 दिनांक 16.03.12 एवं समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशो, यू.ओ.नोट एवं पत्रो के तहत् निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित आवासों की अनुमानित लागत निर्धारित करावें, पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/जमा इत्यादि कार्यों हेतु बैंकों का निर्धारण करावें, प्रस्तावित आवासों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथी से पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। योजना की बुक–लेट की दो–दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वॉछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे। समय पर वॉछित कार्यवाही नहीं होने या गलत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त मुख्या अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगें।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–पी.एण्ड एम., राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त–वृत–तृतीय रा0आ0म0,जयपुर।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबन्धित को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D:\CEM Backup-2011\All Files-CEM Cell\O.P. Ji\Letter OP.rtf